

केन्द्रीय सूचना आयोग हेतु रिपोर्ट (31.12.2005 तक)

क्रम संख्या	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना का ब्यौरा	स्थिति
क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	58 (उन अनुरोधों सहित जिनके साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त नहीं हुआ)
ख)	उन निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदन-पत्रों में किए गए अनुरोधों के परिणामस्वरूप सुलभ कराए गए, किन प्रावधानों के तहत ये निर्णय लिए गए तथा कितनी बार ऐसे प्रावधानों का सहारा लिया गया	सभी आवेदनकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त सूचना सहित जवाब दे दिया गया है।
ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपील का निष्कर्ष	शून्य
घ)	इस अधिनियम के अनुपालन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा	शून्य
ड.)	प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्र धनराशि	262 रुपये
च)	अधिनियम के अनुपालन के लिए लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले ब्यौरे	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव ने प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक बैठक की और अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उनके सुझाव मांगे। • सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन-पत्रों के निपटान पर निगरानी रखने के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
छ)	सूचना प्राप्ति के अधिकार की प्रचालनात्मकता के लिए इस अधिनियम अथवा अन्य विधान अथवा सामान्य कानून अथवा अन्य किसी संगत मामले के संशोधन, विकास, सुधार और आधुनिकीकरण हेतु अपेक्षित सुझावों सहित सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव	सुझावों को संकलित किया जा रहा है और उन्हें अलग से भेजा जाएगा।